

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 420 / 2014

संस्थापन दिनांक 26.05.2014

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-धीरेन्द्रसिंह पुत्र रामनरेशसिंह भदौरिया उम्र 28 वर्ष,
निवासी अंगदपुरा थाना अटेर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.05.14 को 12:30 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर शिम्भूसिंह चौहान के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक यू0पी0-75-एम.6469 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी सुरेश में टक्कर मारकर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.14 को करीब 12:30 बजे फरियादी सुरेश तथा उसका लड़का जितेन्द्र छीमका कॉलोनी से अपने घर अपनी साइकिल से आ रहे थे तभी एक डम्पर क्रमांक यू0पी0-75-एम. 6469 का चालक डम्पर को तेजी व लापरवाही से ग्वालियर तरफ से चलाकर लाया तथा भिण्ड ग्वालियर रोड पर शिम्भूसिंह के मकान के सामने उसमें टक्कर मार दी जिससे वह गिर पड़ा तथा उसके माथे व नाक पर चोट लगकर खून निकल आया तथा शरीर पर मूंदी चोट आई व डम्पर चालक डम्पर को लेकर भिण्ड तरफ भागा ले गया। तत्पश्चात फरियादी सुरेश की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में अप0क0 139/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला

- बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने घटना दिनांक 25.05.14 को 12:30 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर शिम्भूसिंह चौहान के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक यू0पी0-75-एम.6469 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 2. उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने उपरोक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर फरियादी सुरेश में टक्कर मारकर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. प्रकरण में आहत व फरियादी सुरेश व साक्षी जितेन्द्र जो कि फरियादी का पुत्र है का पता ज्ञात न होने से अभियोजन उसे साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। उक्त दोनों साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन मामले में घटना का अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है।
6. साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ०सा००१ ने कथन किया है कि वह दिनांक 25.05.14 को सी०एच०सी० गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक चरनसिंह नं० 276 द्वारा लाये जाने पर आहत सुरेश पुत्र रामभरोसे का परीक्षण करने पर नाक पर 1.3 गुणा 0.2 से.मी. का फटा हुआ घाव था तथा दांयी आंख के बाहरी भाग पर 4 गुणा 3 से.मी. का छिले का घाव था तथा सिर में पीछे की ओर 4 गुणा 3 से.मी. का छिले का घाव था। उसके मतानुसार आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की है। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. मामले के विवेचक साक्षी अशोक सिंह तौमर अ०सा००२ ने कथन किया है कि दिनांक 25.05.14 को वह थाना गोहद चौराहा में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप०क्र० 139/14 धारा 279, 337 भा.द.वि. की एफ.आई. आर. अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई जिसमें उक्त दिनांक को फरियादी सुरेश जाटव की निशादेही में घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी जितेन्द्र जाटव, फरियादी सुरेश जाटव के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे। उक्त दिनांक को ही ट्रक क्रमांक यू०पी०-75-एम.6469 के मालिक वसुधा भदौरिया ने घटना दिनांक व समय को चालक वीरेन्द्र भदौरिया का उक्त डम्पर पर होना बताया था तथा लेखीय पत्र प्रस्तुत किया था जो प्र०पी-5 है जिसकी प्राप्ति पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चालक वीरेन्द्रसिंह भदौरिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी-4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चालक वीरेन्द्र के कब्जे से डम्पर क्रमांक यू०पी०-75-एम.6469 मय रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा,

फिटनेस, व डाइविंग लाइसेन्स के साक्षी राजेन्द्र व बृजराज के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. प्रकरण में दुर्घटना टक क्रमांक यू0पी0-75-एम.6469 के द्वारा कारित की गयी इस संबंध में अभियोजन ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः विवेचक अशोक अ0सा02 की साक्ष्य मात्र संपुष्टिकारक साक्ष्य रहती है जोकि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मूल्यवान नहीं है। चिकित्सक डॉ0 आलोक अ0सा01 द्वारा दी गयी साक्ष्य उपहति के संबंध में संपुष्टिकारक साक्ष्य है परन्तु उपहति आरोपी द्वारा की गयी अथवा दुर्घटना वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एम.6469 से कारित हुई इस संबंध में ही अभियोजन साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अन्य साक्षी के संबंध में अशोक अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि घटनास्थल के आसपास अन्य लोगों के मकान व दुकान हैं लेकिन उनसे उसने कोई जानकारी नहीं ली। अतः अभियोजन द्वारा घटना के किसी अन्य साक्षी को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 25.05.14 को 12:30 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर शिम्भूसिंह चौहान के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक यू0पी0-75-एम.6469 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी सुरेश में टक्कर मारकर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की।
9. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ढ गोषित किया जाता है।
10. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
11. प्रकरण में जप्त डम्पर क्रमांक यू0पी0-75-एम.6469 पूर्व से आवेदक शिम्भूदयाल की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0